न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 18/18 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण:–

1.भीखाराम 2.भगाराम 3.पेमाराम पि.कानाराम 4.नरेश 5.अशोक
6.श्यामलाल 7.भजनलाल पि.निम्बा 8.चनणी पत्नि निम्बा
9.रामनिवास 10.श्रवण पि.सुरताराम 11.धर्मीदेवी पत्नि सुरताराम
जाति विश्नोई, निवासी जम्भेश्वर नगर, तहसील चौहटन।

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.सुजानाराम 2.सोनाराम पि.नरसिंगाराम 3.भैरा 4.हरीराम
5.जोधा 6.ठाकरा पि.रिड़मल जाति विश्नोई
निवासी जम्भेश्वर नगर, तहसील चौहटन
7.तहसीलदार चौहटन।

वकील प्रार्थीगण :– श्री बाबूलाल विश्नोई

वकील विप्रार्थीगण:– श्री वीरमाराम धारासर (विप्रार्थी सं. 1 व 4)

सहायक कलक्टर चौहटन

निर्णय

दिनांक 13.06.18

प्रार्थीगण भीखाराम पुत्र कानाराम वगैरा जाति विश्नोई, निवासी जम्भेश्वर नगर, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की जोत मौजा जम्भेश्वर नगर, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 538 रकबा 27.11बीघा स्थित है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 536 रकबा 27.09 बीघा भूमि मौजा जम्भेश्वर नगर में रास्ता दिया जावे।

सहायक कलक्टर
चौहटन

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किये गये। विप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरमाराम विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया । शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार चौहटन को उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प चौहटन में पेश हुई। प्रार्थी सं. 1 उपस्थित । प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	536	27.09	बा.दो.	20 फीट	0.16	जम्भेश्वर नगर	सुजानाराम, सोनाराम पि. नरसिंगा, भैरा, हरीराम, **जोधा, ठाकरा पि.रिड़मल, कौम विश्नोई, सा.देह खातेदार**

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 536 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है

सहायक कलक्टर
चौहटन

और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

सहायक कलक्टर
चौहटन

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौडा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 13.06.2018 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट/कैम्प चौहटन में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Court
16.4.18

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

कमांक / भू.अ. / 2018 / 458 दिनांकः– 13.4.18

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चौहटन।

विषयः– राजस्व वाद सं. 18 / 2018 अनवान भीखाराम वगैरा बनाम सुजानाराम वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251क मे मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु।

प्रसंगः– श्रीमान जी का पत्रांक / रीडर / 2018 / 338 दिनांक 21.03.2018

महोदय जी,

विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ मे निवेदन है कि राजस्व वाद सं. 18 / 2018 अनवान भीखाराम वगैरा बनाम सुजानाराम वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251क मे मौका रिपोर्ट बाबत नि0भू0अ0 चौहटन व पटवारी हल्का चोहटन को आदेश दिया गया था। नि0भू0अ0 चौहटन द्वारा मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश की है,जो संलग्न श्रीमान जी की सेवामे सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

13.4.18

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

मौका फर्द

आज दिनांक 12.4.18 को श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के न्यायालय आवेदन क्र 18/18
भगवान श्रीरामजी वगैरा बनाम सुखाराम वगैरा अन्तर्गत RTA
1955 की धारा 251 A मे मौका रिपोर्ट चाही जाने एवं श्रीमान तहसील
साहब चौहटन के आदेश क्रमांक/रा.अ./2018/445-46 दिनांक 11-
की पालना में मौके पर पहुंचा!

प्रार्थीगण व विपक्षीगण तथा मौजिज लोगों
मौके पर बुलाया गया उपस्थिति मौजिज लोगों के रूबरू
प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 538
रकबा 27.11 बीघा मे आने जाने के लिए विपक्षीगण सुखाराम
वगैरा की खातेदारी भूमि खसरा 536 रकबा 27.09 बीघा
मे से चौहटन-बाड़मेर सड़क से खातेदारी भूमि तक पहुंचने
के लिए रास्ता का अवलोकन किया गया जिसमे
मौके पर विपक्षीगण के खेत के मध्य मे से हो कर (वर्तमान
मौका अनुसार रास्ता चालू है व कराना नहीं है चूंकि विपक्षीगण
खेत की सीमा से रास्ता दिखाया होता है परन्तु विपक्षीगण
के उक्त खसरे मे सीमा की तरफ निर्माण कार्य किया हुआ
है जिसके खेत की सीमा पर रास्ते की चौड़ाई कम है
है रास्ता। मौके पर आवागमन हेतु काम लिया जा रहा
रास्ता ही प्रार्थी को सड़क से खेत तक पहुंचने के लिए
उपयुक्त रहेगा इसके अलावा अन्य कोई रास्ता मौके
पर उपलब्ध नहीं है

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा बीघा	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते मे सम्मिलित भूमि का रकबा	DLC दर	रास्ते मे सम्मिलित भूमि की कीमत	किस्म भूमि
1.	सुखाराम पुत्र नरसिंगा सोनाराम S/o नरसिंगा गौरा हरिराम जोधा हाकम पिता रिडमल जोशी ... खातेदार	536	27.09	20 फीट	0.16	19550 प्रति बीघा	15640	बा.डो.

Ashok
भीखसिंह
Ramji
तनसिंह (तनसिंह पुत्र ...)
Veerma
12-4-18 पटवारी चौहटन
I.S 13.4.18
RI चौहटन 12.4.18
तहसीलदार (भू.अ.) चौ...

ग्राम - [illegible] नगर
तहसील - चौहटन
[illegible] = [illegible]

मौका रिपोर्ट
रा. आ. 14/18 दिनांक 12-4-18

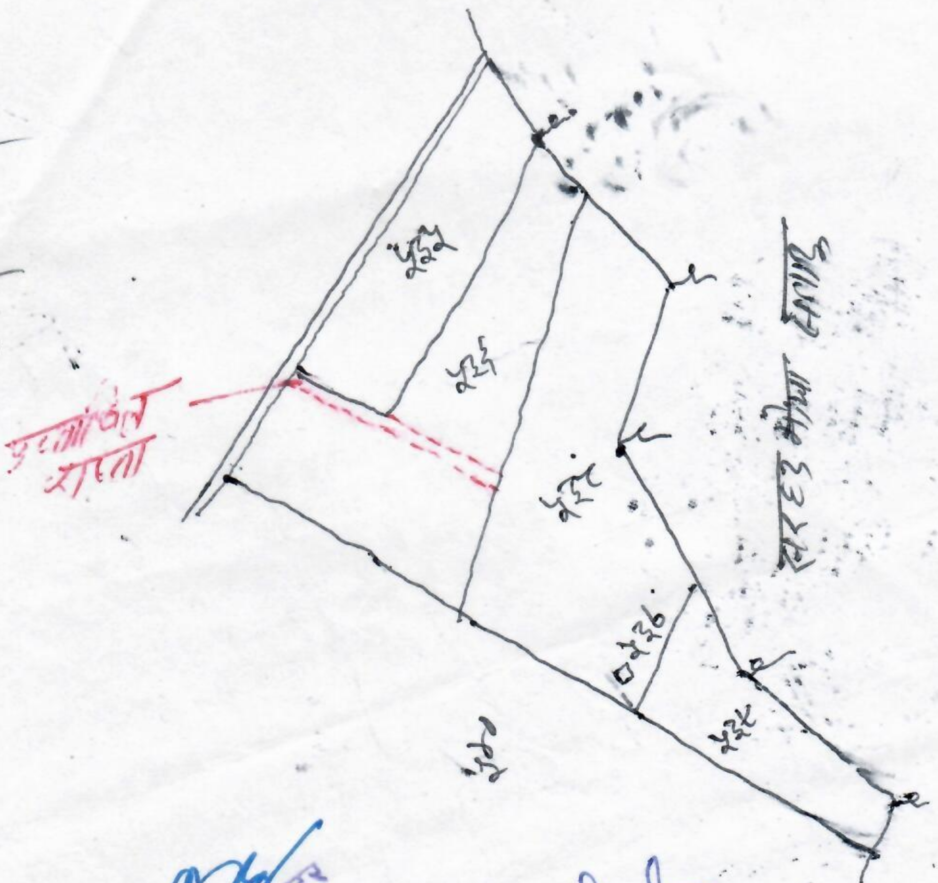

सहायक कलक्टर
चौहटन

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोजनार्थ
नि: शुल्क जारी की गई

नोट: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया

13.4.18
तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

12-4-18
प० चौहटन

12-4-18
DCR चौहटन

12-4-18
प० चौहटन

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]